न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी [illegible]

पीठासीन अधिकारी – [illegible]

प्रकरण [illegible] संख्या 206/2019

प्रार्थी –

[illegible]

[illegible]

अप्रार्थीगण –

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]

[illegible]

[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:37:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की सयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि तहसील ओसियाँ के राजस्व ग्राम आसापुरा नगर के खसरा सख्या 293/1 रकबा 07 बीघा 04 बिस्वा, राजस्व ग्राम हरिपुरा के खसरा सख्या 231/4 रकबा 100 बीघा 12 बिस्वा, खसरा सख्या 260/3 रकबा 38 बीघा 12 बिस्वा आई हुई है उक्त भूमि प्रार्थी के पिता के नाम से राजस्व रेकर्ड मे दर्ज थी तथा प्रार्थी के पिता फौत होने पर राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी के भाईयो के साथ प्रार्थी का नाम चुतराराम पुत्र श्री जगराम दर्ज कर दिया गया लेकिन प्रार्थी का वास्तविक नाम चन्द्रशेखर पुत्र श्री जगाराम है। प्रार्थी के तमाम दस्तावेज पहचान पत्र आधार कार्ड ईत्यादि चन्द्रशेखर पुत्र श्री जगाराम के नाम से बने हुए है उक्त राजस्व रेकर्ड मे नाम त्रुटि केवल मात्र राजस्व कर्मचारियो की भूमि के कारण हुई जो सद्‌भाविक भूल के कारण हुई है जो वर्तमान मे उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है । राजस्व रेकर्ड मे रही त्रुटि को लेकर प्रार्थी को भयकर समस्याओ का सामना करना पड रहा है जिस वजह से प्रार्थी अपनी भूमि पर सुधार कार्य करवाने बाबत तमाम कार्य रुके हुए है अन्त मे निवेदन किया कि उक्त खसरान की भूमि मे प्रार्थी का नाम चुतराराम पुत्र श्री जगराम के स्थान पर चन्द्रशेखर पुत्र श्री जगाराम किया जावे।

प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया चूँकि अप्रार्थीगण सख्या 01 से 03 जो उक्त भूमि के खातेदार है जिस कारण प्रफोर्मा पक्षकार के रूप मे सम्मिलित किया गया है इसलिए आवश्यक पक्षकार पैराकार सरकार है अप्रार्थी सख्या 04 तहसीलदार ओसियाँ की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया तथा बताया कि प्रार्थी का नाम नामान्तरकरण सख्या 261 के जरिये राजस्व रेकर्ड मे दर्ज किया गया है तथा प्रार्थी का नाम आधार कार्ड व राशन कार्ड के अनुसार चन्द्रशेखर पुत्र श्री जगाराम है जो बोलचाल की भाषा में तथा बच्चो के सरक्षक के नाम भी चन्द्रशेखर अकित है तथा अन्त मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:37:36 IST
Reason: SelfAttested

उक्त जबाब पेश होने पर उभय[illegible] प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया [illegible] तथा अप्रार्थी की ओर से जबाब ही बहस मानी गई

Scanned by CamScanner

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम मूलाराम दर्ज है तथा परिवाद व अन्य दस्तावेज में प्रार्थी का नाम चन्द्रशेखर दर्ज है। प्रार्थी के नाम की वल्दियत में कोई अन्तर नहीं है तथा प्रार्थी की पहचान के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा तहसील अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि तहसील अधिकारी के राजस्व ग्राम अन्नापुरा नगर के खसरा संख्या 293/1 रकबा 17 बीघा 14 बिस्वा, राजस्व ग्राम हरिपुरा के खसरा संख्या 231/4 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 293/3 रकबा 38 बीघा 12 बिस्वा भूमि में प्रार्थी का नाम दुरुस्त किया जाकर मूलाराम के स्थान पर चन्द्रशेखर दर्ज किया जावे। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार अधिकारी को प्रेषित जाती है।

([illegible])
आर.ए.एस.
[illegible] कलेक्टर अधिकारी

आदेश आज दिनांक [illegible].10.2018 को हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:37:36 IST
Reason: SelfAttested

([illegible])
आर.ए.एस.
[illegible] कलेक्टर अधिकारी

Scanned by CamScanner